सं. 4/27/2007-डीजीएडी
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
....

दिनांक 09 दिसंबर, 2013

<u>व्यापार नोटिस सं. 1/2013</u>

वर्ष 1995 में यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9 क तथा तत्संबंधी सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 7 की ओर व्यापार और उद्योग का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

2. उपरोक्त नियमावली के नियम 7 के प्रावधानों के अनुसरण में, पाटनरोधी जांच के लिए सभी हितबद्ध पक्षकारों को यह परामर्श दिया जाता है कि उन्हें पाटनरोधी जांच में निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष "गोपनीय सूचना" प्रस्तुत करते समय निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करना होगा :

i) प्राधिकारी के समक्ष प्रश्नावली के उत्तर सहित कोई अनुरोध (उसके साथ संबद्ध परिशिष्ट/ अनुबंधों सहित) करने वाले पक्षकार को, यदि उसके किसी भी भाग की "गोपनीयता" का दावा किया गया है तो उसके दो अलग-अलग सेट दाखिल करने अपेक्षित होंगे :

(क) एक सेट पर "गोपनीय" चिन्हित करके (शीर्षक, पृष्ठों की संख्या, क्रम सूची सहित) ; और

(ख) दूसरे सेट पर "अगोपनीय" चिन्हित करके (शीर्षक, पृष्ठों की संख्या, क्रम सूची सहित)

इस प्रकार से चिन्हित किए बिना किया गया कोई भी अनुरोध अगोपनीय माना जाएगा। दोनों ही पाठों की सॉफ्ट कॉपी भी हार्ड कॉपी के साथ-साथ प्राधिकारी को प्रस्तुत करनी अपेक्षित होगी।

ii) गोपनीय पाठ में ऐसी सभी सूचना शामिल होगी जो गोपनीय प्रकृति की है और/ अथवा अन्य सूचना, जिसे ऐसी सूचना प्रदान करने वाला, उसकी गोपनीयता का दावा करता हो। ऐसी सूचना के लिए, जिसे गोपनीय प्रकृति की होने का दावा किया गया है अथवा ऐसी सूचना के लिए, जिसकी गोपनीयता का अन्य कारणों से दावा किया गया है, सूचना प्रदाता को प्रदान की गई सूचना के साथ एक उचित कारण सहित विवरण प्रदान करना होगा कि इसे प्रकट क्यों नहीं किया जा सकता है ।

iii) अगोपनीय पाठ गोपनीय पाठ की ऐसी प्रतिकृति होनी चाहिए जिसमें गोपनीय सूचना सूचीबद्ध हो अथवा रिक्त छोड़ी गई हो (यदि सूचीबद्ध किया जाना व्यावहारिक नहीं हो) और सूचना की गोपनीयता के दावे के आधार पर सारबद्ध की गई हो। अगोपनीय सार में पर्याप्त ब्यौरे हों, जिनसे कि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना के सार को समुचित रूप समझा जा सके। तथापि, अपवाद की स्थिति में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह दर्शा सकता है कि ऐसी सूचना का सार अतिसंवेदनशील है, जिसके लिए यह कारण बताते हुए एक विवरण दिया जाए कि क्यों सार बनाना संभव नहीं है, यह सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार प्रदान की जाएं।

iv) उपरोक्त अपेक्षाओं की पूर्ति किए जाने के बाद, निर्दिष्ट प्राधिकारी हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत सूचना की प्रकृति की जांच किए जाने पर गोपनीयता के दावे को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं।

v) यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता के लिए अनुरोध अकारण है और यदि सूचना का आपूर्तिकर्ता सूचना को सार्वजनिक करने अथवा इसको प्रकट करने के लिए सामान्य अथवा सार रूप में प्रकट करने के लिए अधिकृत करने के लिए इच्छुक नहीं है तो ऐसी सूचना की उपेक्षा कर सकते हैं।

vi) किसी सार्थक अगोपनीय पाठ के बिना अथवा गोपनीयता के दावे के संबंध में उचित कारण सहित विवरण के बिना प्रस्तुत की गई कोई भी सूचना प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड में नहीं ली जाएगी।

vii) निर्दिष्ट प्राधिकारी संतुष्ट होने पर और दी गई सूचना की गोपनीयता की जरूरत को स्वीकार करने पर इसे सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार के किसी विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को प्रकट नहीं करेंगे।

viii) सार्वजनिक सुनवाई के दौरान, यदि कोई भी हितबद्ध पक्षकार कोई दस्तावेज/ उसकी कागजी प्रति को परिचालित करने का इच्छुक हो तो उसे हार्ड कॉपी अथवा ई- मेल अथवा दोनों के माध्यम से, सुनवाई की तारीख से कम से कम एक कार्य दिवस दिन पूर्व सभी प्रतिभागियों को उपलब्ध कराया जाएगा।

ix) यदि कोई हितबद्ध पक्षकार सार्वजनिक सुनवाई के दौरान गोपनीय आधार पर कुछ सूचना प्रस्तुत/ पेश करने का इच्छुक हो तो उस सूचना और उसके साथ अगोपनीय पाठ (एनसीवी) को ऐसी सुनवाई के कम से कम तीन दिन पूर्व निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसी सूचना का अगोपनीय पाठ (एनसीवी) उस गोपनीय पाठ (सीवी) का एक सार्थक सार प्रदान करेगा । यदि विनिर्दिष्ट अवधि से पूर्व ऐसा अगोपनीय पाठ (एनसीवी) प्रदान नहीं किया जाता है तो हितबद्ध पक्षकार को सार्वजनिक सुनवाई में ऐसे कागजात प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।

3. उपरोक्त प्रक्रिया गोपनीयता के संबंध में निदेशालय द्वारा जारी सभी पूर्व अनुदेशों अथवा व्यापार नोटिस तथा इस निदेशालय के प्रकाशनों का अधिक्रमण करेगी।

हस्ता./
(ए.के. झा)
उप सचिव
कृते निर्दिष्ट प्राधिकारी

सेवा में

सभी संबंधित (सूची के अनुसार)

<u>अनुबंध-I</u>

<u>याचिका, प्रश्नावली के उत्तर अथवा अन्य अनुरोधों में उल्लिखित सूचना/आंकड़ों की गोपनीयता के संबंध में दिशा-निर्देश</u>

अगोपनीय पाठ गोपनीय पाठ (उसी पैरा सं. और पृष्ठ सं. के साथ) की प्रतिकृति होना चाहिए, केवल गोपनीयता के दावे संबंधी सूचना अथवा आंकड़ों को छोड़कर, जिनके लिए कि "अगोपनीय सार" शीर्षक के तहत ऐसे स्थानों पर अगोपनीय सार प्रदान किया जाएगा, जहां पर गोपनीय पाठ में गोपनीय सूचना प्रदान की गई थी । यदि किन्हीं आंकड़ों के गोपनीय होने का दावा किया गया है, तो उसके अगोपनीय पाठ को अनुक्रमणिका के रूप में प्रस्तुत किया जाए। यदि सूचना/आंकड़ों का सार/ अनुक्रमणिका संभव नहीं है, तो प्रेषण पत्र में उसका विशेष कारण दिया जाए।

2. किसी सूचना/आंकड़ों के गोपनीय होने का दावा अगोपनीय पाठ के प्रेषण पत्र के रूप में निम्नलिखित फॉर्मेट में प्रस्तुत किया जाए :

क्रम सं.	वह मामला/ आंकड़े, जिनके लिए गोपनीयता का दावा किया गया है	गोपनीयता के दावे के लिए कारण/ औचित्य	अगोपनीय पाठ का पृष्ठ सं., जिसके लिए अगोपनीय सार प्रदान किया गया है	क्या सूचना सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है या किसी सरकारी प्राधिकरण के पास है, जिससे कि लोग शुल्क का भुगतान करके अथवा शुल्क के बिना उसे प्राप्त कर सकते हैं
1.	2.	3.	4.	5.

3. कारण/स्पष्टीकरण पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 6.5 में विनिर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर होने चाहिए। कारण/स्पष्टीकरण विशिष्ट होने चाहिए, जिसमें स्पष्ट रूप से यह प्रदर्शित/प्रमाणित किया गया हो कि सूचना का प्रकटन होने से नुकसान होगा।

4. गोपनीयता के दावे और उनके निर्णय मामले से संबद्ध हैं। अतः किसी पूर्व मामले का उदाहरण दावे की गोपनीयता के लिए औचित्य के रूप में नहीं माना जाएगा। इस संबंध में निम्नलिखित की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है :

(i) सूचना के निम्नलिखित उदाहरण हैं, जिन्हें गोपनीय माना जा सकता है :

(क) किसी प्रतिस्पर्द्धी को प्रतिस्पर्द्धा संबंधी महत्वपूर्ण फायदा होने, उत्पादन लागत, वितरण लागत, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम कीमत संबंधी डाटा, लाभ और हानि मार्जिन, बिक्री की कतिपय शर्तें, अनुसंधान/शोध के आंकड़े, तकनीकी डिजाइन, किसी उत्पाद अथवा उत्पादन की प्रक्रिया के संबंध में कारोबारी अथवा व्यापार गोपनीयता, संघटकों का विशिष्टीकरण, निष्पादन/ लाभप्रद आंकड़े, पाटन मार्जिन के ब्यौरे, पक्षकार द्वारा किए गए समायोजन के दावे इत्यादि से संबंधित सूचना कुछ इस प्रकार की सूचना के उदाहरण हैं। यह सूची सम्पूर्ण नहीं है।

(ख) ऐसी सूचना, जिसका प्रकटीकरण होने से सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार अथवा वह पक्षकार, जिससे सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार द्वारा सूचना अर्जित की गई थी, पर एक महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। कुछ उदाहरणों में ग्राहक और आपूर्तिकर्ताओं की सूची, कीमत के मोल-भाव के संबंध में क्रेताओं से पत्र, तकनीकी सहयोग के ब्यौरे शामिल हैं।

(ii) गोपनीयता के दावे से संबंधित सूचना की जांच प्राधिकारी द्वारा मामला-दर-मामला आधार पर की जाएगी। पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 12 के तहत गोपनीयता प्रदान करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी के संसूचना दायित्व को भी ध्यान में रखा जाएगा। उदाहरण के लिए घरेलू उद्योग/निर्यातक का पता, संयंत्र का स्थान इत्यादि गोपनीय नहीं माने जा सकते हैं। मामला-दर-मामला आधार पर सूचना की जांच करते समय प्रकटीकरण के हित संतुलन को भी ध्यान में रखा जाएगा।

(iii) यदि कोई हितबद्ध पक्षकार गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करता है और यह दावा करता है कि उसकी अगोपनीय का सार संभव नहीं है, तो उस दावे को प्राधिकारी द्वारा केवल विधिवत विचार करने और जांच करने के बाद ही स्वीकार किया जाएगा। ऐसे मामलों के उदाहरण, जहां ऐसे दावे स्वीकार किए जा सकते हैं, उनमें निर्माण प्रक्रिया के तकनीकी ब्यौरे, कच्ची सामग्री/वस्तुओं की खपत के मानक, खोज/अनुसंधान के आंकड़े, तकनीकी डिजाइन, उत्पादन प्रक्रिया संबंधी व्यापार गोपनीयता, संघटकों का तकनीकी विनिर्देशन इत्यादि शामिल हैं।

(iv) गोपीनयता का कोई भी दावा प्राधिकारी द्वारा वाणिज्यिक सीमाओं के आधार पर स्वीकार नहीं किया जाएगा, उदाहरण के लिए यदि सूचना सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है, और शुल्क इत्यादि का भुगतान किए जाने पर किसी भी पक्षकार द्वारा प्राप्त की जा सकती है। आईबीआईएस जैसे किसी प्राइवेट स्रोत से प्राप्त की गई सूचना/आंकड़े गोपनीय नहीं माने जाएंगे और उसे प्रस्तुत करने वाला पक्षकार इसे स्वीकार किए जाने से पूर्व आपूर्ति करने वाले पक्षकार से उसके प्रकटीकरण के लिए पत्र प्रस्तुत करेगा।

(v) एक पाटनरोधी जांच में भाग लेने वाले सभी हितबद्ध पक्षकारों को जांच की अवधि और विगत दो वर्षों के लिए एक पेशेवर लेखाकार से विधिवत प्रमाणित तुलन-पत्र के साथ अपने वार्षिक लेखों की एक प्रति प्रस्तुत करनी अपेक्षित होगी। सामान्यतः एक कंपनी के वार्षिक लेखे, तुलन-पत्र, लाभ व हानि लेखे, जो एक पेशेवर से प्रमाणित हो, प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माने जाएंगे और उसकी एक प्रति भी सार्वजनिक फाइल में रखी जाएगी।

(vi) यदि कोई हितबद्ध पक्षकार जांच की अवधि और विगत दो वर्षों के वार्षिक लेखों और तुलन-पत्र के संबंध में गोपनीयता का दावा करता है, तो हितबद्ध पक्षकार को गोपनीयता का दावा करने के लिए एक विस्तृत स्पष्टीकरण देना होगा। ऐसे मामलों में गोपनीयता के दावे के लिए स्पष्टीकरण/आधार अगोपनीय चिन्हित किया जाएगा और उसकी एक प्रति सार्वजनिक फाइल में रखी जाएगी।

(vii) यदि जांच की अवधि और विगत दो वर्षों के लिए समग्र वार्षिक लेखे और तुलन-पत्र गोपनीय गोने का दावा किया गया है, तो गोपनीय पाठ का सार्थक सार देते हुए अनुक्रमणिका के साथ एक अगोपनीय पाठ भी अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा संदर्भ के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

(viii) यदि किसी प्रतिभागी हितबद्ध पक्षकार के संबंध में संबद्ध देश के संगत कानून/नियमों के अनुसार वार्षिक लेखे और तुलन-पत्र सार्वजनिक डोमेन में हैं, अथवा निर्धारित प्राधिकरणों से जनता द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं, तो उसे प्राधिकारी द्वारा किसी भी परिस्थिति में गोपनीय के रूप में नहीं माना जाएगा।

****